

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक प.(284) आरओसीएल/संस्थापन/2017-18/776-807

जयपुर 1.6.2017

कार्यालय आदेश

राज्य में जैतून की खेती के प्रति किसानों को तकनीकी ज्ञान के हस्तांतरण के उद्देश्य से यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक जिसके कार्य क्षेत्र में जैतून का उद्यान स्थापित है को अनिवार्य रूप से माह में 3 बार जैतून उद्यान का निरीक्षण कर रिपोर्ट उप निदेशक कृषि कार्यालय के माध्यम से अतिरिक्त निदेशक कृषि (एनएनओओपी) तथा चीफ आपरेशन आफिसर, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि० को उपलब्ध करवाया सुनिश्चित किया जावे।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त कृषि

क्रमांक प.(284) आरओसीएल/संस्थापन/2017-18/776-807

जयपुर 1.6.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
3. अतिरिक्त निदेशक कृषि (एनएनओओपी) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
4. चीफ आपरेशन आफिसर, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि० जयपुर।
5. उप निदेशक कृषि (वि०)
6. संबधित श्री
7. निजी/आरक्षी पंजिका

(सोमेन्द्र शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)